न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : –देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : –22/2021

उनवान

1. अमीर,
2. जलाल, पि0 जहागीर,
3. नैनी पत्नी जमाल,
4. मुन्नी,
5. मुस्ताक,
6. रसीद,
7. सददाम,
8. सजमा,
9. सलमान पि0 जमाल बेग जाति मुगल, नि0 बीर तहसील अजमेर

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 16.10.24

प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गादेरी तहसील, नसीराबाद, अजमेर के हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.26, 30 रकबा 0.46, 31 रकबा 0.45, 31/3056 रकबा 0.01 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण खसरा नम्बर 27 रकबा 0.29 के पूरब से पश्चिम दिशा की भूमि का उपयोग करता है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त मार्ग का अंकन नही है। खसरा नम्बर 27 सिवायचक भूमि है। उक्त भूमि पर से मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मौके व रेकार्ड पर नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद व तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रकरण में मौका [illegible] की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम गादेरी तहसील नसीराबाद, अजमेर के हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खसरा नम्बर 29 रकबा 0.26, 30 रकबा 0.46, 31 रकबा 0.45, 31/3056 रकबा 0.01 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 27 रकबा 0.29 किस्म बीड सिवायचक दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 29, 30, 31, 31/3056 के लिये राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता नही है। खसरा नम्बर 27 में से 10 मीटर चौडा व 89 मीटर लम्बा कुल 890 वर्ग मीटर रास्ता चाहा है, जो गादेरी की सीमा में कोई पहुच मार्ग नही होने से आवश्यक है। प्रार्थीगण की आराजी ग्राम बीर की सीमा से लगती हुयी है। प्रार्थीगण ग्राम बीर के निवासी है। तथा ग्राम गादेरी की प्रस्तावित आराजी में आवागमन करते आए है। बीर की सीमा में उललब्ध मार्ग का विवरण सबंधित पटवारी से लिया जाना उचित होगा। तहसीलदार नसीराबाद ने उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अनुशषां की है। तहसीलदार अजमेर से ग्राम बीर की भूमि व उपलब्ध रास्ते बाबत पृथक से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, अजमेर द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 4893 व 4898 में से मौके पर रास्ता जारी है, परन्तु राजस्व रेकार्ड व नक्शें कोई रास्ता नही है। प्रपार्थीद्वारा ग्राम बीर के खसरा नम्बर में से रास्ता चाहने का उल्लेख नही किया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थीगण की भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग रेकार्ड व मौके पर उपलब्ध होना तहसीलदार नसीराबाद द्वारा नही बताया गया है। प्रार्थीगण को मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र का काई खण्डन पेश नही हुआ है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को 10 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावति किया गया है। मार्ग हेतु सिवायचक भूमि में से ही भूमि ली जानी है। किसी खातेदार की भूमि नही ली जानी है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा रास्ता दियें जाने की अनुशषां की है। **धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी काश्तकार के पास अपने खातेदारी खेतो में जाने हेतु काई मार्ग विधमान या उपलब्ध नही है तो वह अन्य काश्तकार/सिवायचक भूमि में से अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त कर सकता है।** किन्तु प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि उन्हे 5 मीटर चौडा ही रास्ता दिया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिर्पोट अनुसार प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम गादेरी के खसरा नम्बर 27 में से (89 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा) 445 वर्ग मीटर भूमि रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के एवज में 2,06,763/ अक्षरे दो लाख छः हजार सात सौ तरेसठ रूपये का भुगतान राजकोष में जमा होने के बाद रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:24 IST
Reason: SelfAttested